कार्यालय वनमण्डलाधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

कार्यालय –दूरभाष (07856) 252228, फैक्स–252305 निवास –(07856) 252439 **E-mail:**-dfodnt@rediffmail.com

क्रमांक / क.त.अ. / 9629 **दन्तेवाड़ा, दिनांक** 7 **/ 12 / 2020**

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

विषय :– Diversion of Forest land for non-forest purpose under forest conservation act, 1980 proposed for bharatnet phase – II Dantewada division " Bharat Net Project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 KM. the laying of Optical fiber cable of 32,466 KM. will involve 26 district across the state, area – 4.561 Ha. – regarding.
पंजीयन क्रमांक /FP/CG/OFC / 43606/2019

संदर्भ :– **1.** अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)अटल नगर नया रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध / एल. एम.–115–846/274 रायपुर दिनांक 06.02.2020

2. आवेदक संस्थान का पत्र क्रमांक/भा.ने.प्रो.–11/वन भूमि/प्रस्ताव/2019 – 20/126 रायपुर दिनांक 19.10. 2020

––0––

उपरोक्त विषयांन्तर्गत प्रतिवेदन है कि, आवेदक संस्थान चिप्स स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर द्वारा दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमण्डल अन्तर्गत गीदम एवं कटेकल्याण विकास खण्ड अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायत के मार्ग समानान्तर वन भूमि पर ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन क्षेत्र अन्तर्गत क्षेत्रफल 3.273 हें. एवं राजस्व क्षेत्र अन्तर्गत 1.288 हें. कुल रकबा 4.561 हें.वन भूमि को गेर वानिकी उपयोग हेतु संदर्भित पत्र – 1 के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु पंजीयन क्रमांक **क्रमांक /FP/CG/OFC/43606/2019** आबंटित किया गया है।

आवेदक संस्थान चिप्स स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर द्वारा पंजीयन क्रमांक आबंटन के विरूद्ध वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट (01 से 21) अनुसार व्यपवर्तन प्रस्ताव तैयार कर संदर्भित पत्र – 2 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

आवेदक संस्थान चिप्स स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर से प्राप्त विषयांकित प्रस्ताव में वनमण्डल से संबंधित जानकारी शामिल कर व्यपवर्तन प्रस्ताव अनुसंशा सहित मय संक्षिप्त टीप 04 प्रतियों में संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार। प्रस्ताव 04 प्रतियों में।
मय संक्षिप्त टीप।

वनमण्डलाधिकारी
दंतेवाड़ा वनमण्डल दंतेवाड़ा

पृ.क्रमांक / क.त.अ. / 9630 **दन्तेवाड़ा, दिनांक** 7 **/ 12 / 2020**

प्रतिलिपिः– 1. कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (चिप्स) स्टेट डाटा सेंटर भवन सिविल लाईन रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी
दंतेवाड़ा वनमण्डल दंतेवाड़ा

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

कार्यालय –दूरभाष (07856) 252228, फैक्स–252305 निवास –(07856) 252439 **E-mail:**-dfodnt@rediffmail.com

क्रमांक/क.त.अ./ 9631 **दन्तेवाड़ा, दिनांक** 7 **/12/2020**

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

विषय :– Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 proposed for bharatnet phase-II Dantewada Division "Bharat Net Project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5987 GPs blocks through optic fibre cable laying of approximately 32466 KM. The laying of optical fiber cable of 32466 KM will involve 26 districts across the state, area – 4.561 Ha. पंजीयन क्रमांक/FP/CG/OFC/43606/2019

संदर्भ :– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)अटल नगर नया रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध / एल.एम.–115–846/274 रायपुर दिनांक 06.02.2020

2. आवेदक संस्था का पत्र क्रमांक/भानेप्रो–11/वनभूमि/प्रस्ताव/2019–20/126 दिनांक 19.10.2020

––0––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र – 2 के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार आवेदक संस्थान के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वन मंडल कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिंदुवार विवरण निम्नानुसार है:–

1. **आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ – 01 से 11)**
   - छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में दंतेवाडा वनमंडल अंतर्गत गीदम एवं कटेकल्याण ब्लाक अंतर्गत ग्राम पंचायत मार्ग समानान्तर वन भूमि 3.273 हे. एवं राजस्व वनभूमि 1.288 हे. कुल रकबा 4.561 हे. पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु न्यूनतम मांग है।
2. **प्रपत्र I में रजिस्ट्रेषन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाइन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति (वर्ष/पंजीयन कमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ – 12)**
   - आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन हेतु राशि रूपये – 6000 एवं प्रोसेंसिग शुल्क हेतु रू 18000/– जमा किया गया है, जिसे कोषालय में चालान नम्बर – 53 दिनांक 12.04.2020 द्वारा पी. डी.खाता में जमा किया गया है। पजीयन क्र. FP/CG/OFC/43606/2019 (ऑनलाइन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति संलग्न)
3. **वन क्षेत्र विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ – 13 से 23 तक)**
   - व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित संरक्षित वन रकबा 2.105 हे., आरक्षित वन रकबा 1.168 हे. एवं राजस्व वन भूमि रकबा 1.288 हे. कुल रकबा 4.561 हे. है। व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.4 से 0.6 है। वन की साईट क्वालिटी iii प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षों की कटाई आवश्यकता नही है।
4. **गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ – 24)**
   - वनमंडल अंतर्गत गीदम एवं कटेकल्याण ब्लॉक के जुडने वाले मार्गो के मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित गैर वनक्षेत्र का कुल रकबा 13.729 हे. है।

5. **प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मुल टोपो शीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ – 25 से 32 तक)**
   - ➢ वन प्रबंधन सूचना प्रणाली रायपुर से प्राप्त टोपो शीट प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

6. **वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ – 33 से 35 तक)**
   - ➢ वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है।

7. **प्रपत्र– 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ – 36 से 43 तक)**
   - ➢ प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

8. **प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ.– 44 से 46 तक)**
   - ➢ छत्तीसगढ का एक तिहाई जनसंख्या जनजातियों की है, ज्यादातर उत्तर और दक्षिण में घनें जंगलों वाले इलाकों में है। छत्तीसगढ राज्य में इस परियोजना के तहत छत्तीसगढ सरकार द्वारा ब्लॉक मुख्यालय से एक ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जायेगा जिसके अंतर्गत राज्य में 85 ब्लॉक, 5987 ग्राम पंचायतों जोड़कर उच्च गति ब्रॉडबैंक कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

9. **न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ – 47)**
   - ➢ छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में दंतेवाडा वनमंडल अंतर्गत गीदम एवं कटेकल्याण ब्लाक अंतर्गत ग्राम पंचायत मार्ग समानान्तर वन भूमि की आवष्यकता के परिपेक्ष्य में अन्य विकल्पों का पता लगाया गया है किन्तु कोई भी विकल्प उचित नहीं पाया गया। अतएव प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं हैं। इस संबंध में की जा रही वन भूमि की मांग आवष्यक एवं न्यूनतम हैं।

10. **अधिनियम उल्लंघन अतर्गत कार्यो/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ – 48)**
    - ➢ किसी भी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अधिनियम उल्लंघन की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं हैं।

11. **वनअधिकारीयों का निरीक्षण प्रतिवेदनमय स्पष्ट अनुसंशा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जायेगा (प्रस्ताव पृष्ठ – 49 से 67 तक)**
    - ➢ वन अधिकारीयों का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न हैं।

12. **ऐतिहासिक स्थल प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ – 68)**
    - ➢ प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु आवेदित वन भूमि के अन्तर्गत कोई भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के इमारत /स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहे है।

13. **संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ – 69 से 75 तक)**
    - ➢ भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र./F No-11-09/98-FC(pt) दिनांक 28.10.2014 के अनुसार मार्गो के मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अंतर्गत फाइबर केबल बिछाने हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. **जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे.में) (प्रस्ताव पृष्ठ – 76)**
    - ➢ दंतेवाडा जिले के वन मंडल अन्तर्गत कुल वन भूमि 1242.505 वर्ग कि.मी. है।

15. **व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणो में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे.में.(प्रस्ताव पृष्ठ – 77)**
    - ➢ दंतेवाडा वन मंडल अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 19 स्वीकृत प्रकरणों में रकबा 3217.624 हे. वन भूमि प्रभावित हुआ है।

16. **व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणो में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे.मे (प्रस्ताव पृष्ठ – 78)**
    - ➢ दन्तेवाड़ा जिले के दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् इसी श्रेणी के कुल प्रत्यावर्तन वनभूमि रिलायंस जियो अंतर्गत रकबा 1.814 हे. एवं बस्तर नेट परियोजन अंतर्गत रकबा 2.959 हे. कुल रकबा 5.773 हे. स्वीकृत है ।

17. **प्रस्तावित क्षेत्र को 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ – 79)**
    - प्रस्तावित क्षेत्र को 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।
18. **वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ – 80 से 81 तक)**
    - प्रमाण पत्र संलग्न है।
19. **राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ – 82 से 91 तक)**
    - संलग्न
20. **पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ – 92)**
    - उक्त चेक लिस्ट के बिंदु कमांक – 02 में उल्लेखित है।
21. **राष्ट्रीय उद्यान/वन्य प्राणी अभ्यारण्य के अंदर से ओ.एफ.सी गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) छ.ग. की अनुसंशा (प्रस्ताव पृष्ठ – 93 से 136 तक)**
    - आवष्यकता नही है।
    -

वनमण्डलाधिकारी
दंतेवाड़ा वनमण्डल दंतेवाड़ा